



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट के अभियोग में मुख्य आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं सहअभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 40,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 264/2020 धारा-363,366,376(3),120बी भा०द०सं० व 6/17 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दिनेश कुमार वर्मा पुत्र मूलचन्द्र नि० कल्ला थाना बिंवार हमीरपुर को धारा 363,366,120बी,376(3)भा०द०सं० व 6 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाए जाने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/ रुपए के अर्थदंड से एवं संजय अहिरवार पुत्र हरिया नि० वार्ड नं० 03 इमिलिया बाड़ा कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को धारा 363,366,120बी, भा०द०सं० में दोषसिद्ध पाए जाने पर 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15,000/ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।



अभियोजक  
एडीजीसी  
रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-  
उ०नि० रोशनलाल



पैरोकार-  
थाना- सुमेरपुर  
कां०- ज्ञानेन्द्र कुमार